राष्ट्रीय जैव तकनीक नियामक प्राधिकरण (बीआरएआई) और बीज विधेयक 2010 पर

जनपरामर्श

प्रशासन अकादमी, भोपाल का सभा कक्ष

26 फरवरी, 2011

पहला दिन

प्रतिभागीगण :

अध्यक्षता : श्री अनिल माधव दवे, राज्यसभा सदस्य, मध्यप्रदेश।

विशेष अतिथि : श्री एमएम उपाध्याय, प्रमुख सचिव कृषि, मध्यप्रदेश शासन।

आमंत्रित सदस्य : श्री तपन कुम्भकार, कासा

अतिथि वक्ता :

- सुश्री कविता कुरुगंटी (बीज विधेयक, बीआरएआई और मध्यप्रदेश में जीएम बीज परीक्षण से उपजी विसंगतियों पर)
- डॉ. नरसिम्हा रेड्डी (बीज विधेयक की विडंबनाओं पर)
- सुश्री शालिनी (बीआरएआई विधेयक की विसंगतियों की कानूनी बारीकियों पर)

स्वागत भाषण : श्री रमेश चौधरी, मध्यांचल फोरम भोपाल।

विषय प्रवेश : श्री नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान।

आभार प्रदर्शन : श्री मनोहरलाल यादव, मध्यांचल फोरम।

मध्यांचल फोरम के द्वारा बीज स्वराज अभियान के सहयोग से आयोजित

मंचासीन अध्यक्ष, विशेष अतिथि और अन्य वक्ताओं ने सबसे पहले मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद अध्यक्ष और विशेष अतिथि व अतिथि वक्ताओं का सूत की माला से स्वागत किया गया।

पूरे जनपरामर्श को तीन सत्रों में आयोजित किया गया था। पहला उद्घाटन सत्र था, जिसके बाद प्रश्नोत्तर के रूप में दूसरा और समूह चर्चा के रूप में तीसरा व अंतिम सत्र रखा गया था।

किसानों की स्थिति जानेंगे

– स्वागत भाषण : रमेश चौधरी

मध्यांचल फोरम मध्यप्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों का एक मंच हे। यह जनहित से जुड़े सामूहिक प्रयासों को बल देता है। बीज विधेयक और बीआरएआई बिल का मुद्दा मध्यप्रदेश और देश के करोड़ों किसानों से जुड़ा है। दोनों विधेयक किस तरह से किसानों, राज्य सरकार और आम लोगों के प्रतिकूल है, इस पर हम विषय विशेषज्ञों के विचार जानेंगे। इस जनपरामर्श से जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उससे मध्यप्रदेश के अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को अवगत कराया जाएगा।

असल में मुद्दा क्या है?

– विषय प्रवेश : श्री नीलेश देसाई

बीज विधेयक 2010 और बीआरएआई विधेयक को संसद के बजट सत्र (2011) में पेश किया जाना है। दोनों विधेयकों में ऐसी कई विसंगतियां हैं, जो आगे चलकर सिर्फ मध्यप्रदेश ही नहीं, बल्कि देशभर के किसानों के लिए आजीविका का संकट खड़ा कर सकती हैं। बीज स्वराज अभियान के श्री नीलेश देसाई ने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला।

'देश की आजादी के बाद नारा दिया गया था ''जय जवान, जय किसान'' का। यह नारा किसान के हितों को ध्यान में रखकर दिया गया। लेकिन पिछले दो दशकों के हालात देखें तो देश में दो लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। करीब 40 लाख किसानों ने कृषि कार्य छोड़ दिया है। ऐसा इसलिए, क्योंकि बाजार से खरीदे गए घटिया क्वालिटी के बीजों से उन्हें लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। बीज के कारोबार का 40 फीसदी हिस्सा निजी कंपनियों के कब्जे में है। यह हमारी कृषि को बरबाद करने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सोची'–समझी साजिश है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकारों को पहल करनी होगी। वर्ष 2005 में आंध्रप्रदेश में बीटी कॉटन बीजों के चलते किसानों की फसल खराब हो गई। किसानों ने जब मुआवजे की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो बीटी कॉटन बीज बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी मोंसांतो ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। यह एक गलत दलील है, क्योंकि कृषि केंद्र का नहीं, राज्य का विषय है। हमें अब ऐसे विधेयक की जरूरत है, जो हमारी कृषि में निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हस्तक्षेप को रोके। मौजूदा बीज विधेयक के प्रारूप का केरल और आंध्रप्रदेश में जमकर विरोध हुआ है। मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसुमरिया ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बीज विधेयक के किसान विरोधी होने की बात कहते हुए अपना ऐतराज जताया है। जीनान्तरित विदेशी बीजों का भारतीय कृषि में प्रवेश रोकने के लिए हमें अपने नियामक तंत्र को भी सुदृढ़ बनाना होगा। 2002 में बीटी कॉटन देश में पहली बार आया था। तभी से नियामक तंत्र लगातार कमजोर हुआ है। देश को इस समय ऐसे नियामक तंत्र की जरूरत है, जो जीनान्तरित बीजों और जेनेटिक्स से किसानों को बचाए। लेकिन सरकार के बनाए बीआरएआई विधेयक के प्रारूप को देखें तो यह

जीएम तकनीक को बढ़ावा देने वाला साबित हो रहा है। इससे पहले जीएम तकनीक के भारत में प्रवेश को लेकर भी नियामक तंत्र ने उदारता बरती थी। अब फिर ऐसा हो रहा है। यह किसानों और राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के हनन की कोशिश है। इस बिल में ऐसी कोशिशों को रोकने के प्रावधान शामिल करने होंगे।'

दोनों विधेयकों में कौन सी विसंगतियां हैं?

– अतिथि वक्ता सुश्री कविता कुरुगंटी

इन पर विस्तार से प्रकाश डालने का काम किया, अतिथि वक्ता सुश्री कविता कुरुगंटी ने। आंध्रप्रदेश और पंजाब में आसा, कृषि के लिए सतत–समग्र के साथ काम कर चुकीं कविता ने तीन प्रमुख मुद्दों, बीज विधेयक, बीआरएआई बिल और मध्यप्रदेश के जबलपुर में जीएम मक्के पर जारी परीक्षण पर प्रकाश डाला। 'संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य के विषयों का जिक्र है। इसकी के 14वें अनुच्छेद में कृषि को राज्य का विषय माना गया है। इसी तरह संविधान की समवर्ती सूची में खाद्य पदार्थों के मूल्य पर राज्य सरकार के नियंत्रण की बात भी कही गई है। लेकिन यह समझ से परे हैं कि इन सबके बावजूद राज्य सरकारें अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर रही है। विश्व व्यापार संगठन से भारत के समझौते से पहले भी अगर राज्य सरकारें विरोध जतातीं तो आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल में फंसे किसानों को इस तरह से आत्महत्या नहीं करना पड़ता।'

1. बीज विधेयक

'हजारों साल पहले जब आधुनिक खेती की शुरुआत हुई, तभी से किसान अपने पास बीजों का संग्रहण करते आए हैं। अब ऐसे किसानों को पिछड़ा माना जा रहा है। बीज संग्रहण के उनके कौशल की अनदेखा

किया जा रहा है। हमारे किसान अच्छे बीज पैदा करते हैं, फिर भी बीजों के आयात पर कोई रोक नहीं है। बीज भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आता है, लेकिन सरकार इसे एक व्यावसायिक वस्तु के नजरिए से देख रही है। इससे घरेलू बाजार में रोजाना नई–नई कंपनियां सामने आ रही हैं। ये कंपनियां अलग–अलग नाम से सामने आ रही हैं। बीज विधेयक इसे और बढ़ावा देने वाला साबित होगा, इसलिए यह कहना पड़ेगा कि विधेयक का प्रारूप हमारी कृषि को गलत दिशा में ले जाएगा। बीज को आवश्यक वस्तु के रूप में ही देखा जाना चाहिए, तभी किसान के हितों का संरक्षण हो सकेगा। प्रस्तावित बीज विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि अगर किसी कंपनी का बीज खराब निकलता है, या उससे अपेक्षा के अनुरूप फसल का उत्पादन नहीं हो पाए तो बीज उत्पादक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का राज्य सरकारों को क्या अधिकार होगा। विधेयक में इसके लिए पूरी तरह से केंद्रकृत प्रणाली तय की गई है। इसमें किसानों, राज्य सरकारों के लिए कोई जगह नहीं है और न ही नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए कोई जवाबदेही तय की गई है। कुल मिलाकर यह एक कमजोर कानून है। बीज बाजार में काबिज निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसानों को ब्लैक मेल करने पर उतर आई हैं। उनका कहना है कि अगले साल 40 फीसदी कम बीज बाजार में आएगा। यह कुल मिलाकर मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने की कोशिश है और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार भी इसका समर्थन कर रहे हैं। उनकी सोच यह है कि बीज के बाजार में मूल्य नियंत्रण नहीं होना चाहिए। किसानों को बीज, कब, कैसे और किस दाम पर मिले और उनकी गुणवत्ता कैसी हो, यह सब कुछ निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां तय करना चाहती हैं।'

———————————————————————————————————

2. बीआरएआई विधेयक

' राष्ट्रीय जैव तकनीक नियामक प्राधिकरण यानी बीआरएआई विधेयक की बात पहली बार 2003 में सामने आई थी। सरकार ने इसके बारे में सिफारिश पेश करने के लिए डॉ. एमएस स्वामीनाथन की अगुवाई में कृषि व बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी बनाई। इसने 2004 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद 2008 में इसका प्रारूप सामने आया। यह गलत लोगों द्वारा गलत कारणों से गलत समय पर लिखा गया विधेयक है। इसे लाने के पीछे सरकार का मकसद जीनान्तरित और आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी को हरी झंडी दिखाने का है। लेकिन यहां जीनान्तरित और बायोटेक्नोलॉजी को हरी झंडी देने की नहीं, उसके नियमन की जरूरत है, क्योंकि हमारा पर्यावरण खतरे में है। ऐसे में हमें कड़े नियमन कानून की जरूरत को समझना होगा।'

'पूरे मामले को देखने पर यह साफ हो जाता है कि दोनों विधेयक हमारी कृषि को गलत दिशा में ले जाने वाले हैं। इनसे राज्य सरकारों के अधिकार का हनन होने वाला है। वह भी तब, जबकि मध्यप्रदेश सरकार राज्य में जैविक कृषि तकनीक लागू करना चाहती है।'

———————————————————————————————————

जीएम मक्का

' इसका परीक्षण करने के लिए जीईएसी ने पिछले साल नवंबर में अनुमति दी थी। परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे जीएम मक्के में बीटी का तत्व है। यह बीटी जीन्स से मना है, जो काफी जहरीला है। इसमें खरतपवार नाशक तत्व भी मिलाया गया है। बीटी मक्का इंसान के प्रजनन तंत्र को प्रभावित करता है। यह बीटी बैंगन से भी खतरनाक उत्पाद है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह खेत में खरपतवार पैदा नहीं होने देगा, लेकिन असल में यह खरपतवार को बढ़ावा देने वाला है। इसके परीक्षण को लेकर मध्यप्रदेश के कई संगठनों ने विरोध जताया है। फिर भी मध्यप्रदेश की जमीन पर इसका परीक्षण जारी है। इसे रोकने का अधिकार मध्यप्रदेश को है, लेकिन वह इसका उपयोग नहीं कर रही है। हमारे खेतों में खरपतवार उगना एक सामान्य बात है। इसे हटाने के लिए मजदूर लगाए जाते हैं। इस काम में देश के कुछ सबसे गरीब लोगों, खासतौर पर महिलाओं को रोजगार मिलता है। परंतु ऐसे खरपतवार नाशकों से गरीबों का यह रोजगार भी छिन जाएगा। दूसरी ओर केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया

था कि देश में इस तरह की जीनान्तरित फसलों को उगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कृषि भूमि पर इनका विपरीत असर पड़ रहा है। जमीन को उपजाउ बनाने वाले कीटों, कृमियों पर भी इनका प्रतिकूल असर पड़ा है और अब तक हुए कई शोध कार्यों से यह बात साबित भी हुई है। जीनान्तरित बीजों के खरपतवार नाशक गुण से अमेरिका में ही 40 से ज्यादा नई बीमारियां पैदा हुई हैं। जीनान्तरित फसलों के बारे में यह भी दावा किया गया है कि इसमें रासायनिक खाद का उपयोग कम होता है, लेकिन यह बात भी अमेरिका में गलत साबित हो चुकी है। जीएम फसलों को बढ़ावा देने वाली मोंसातो और बेयर जैसी कंपनियां रासायनिक खाद भी बनाती हैं। ये कंपनियां अपने इन उत्पादों को जीएम बीजों के साथ पैकेज के रूप में बेचती हैं। ये सभी बातें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फायदे में है, इसलिए हालात की गंभीरता पर गौर करते हुए हमें दोनों विधेयकों को पारित होने से तब तक रोकना होगा, जब तक कि देश में कोई सक्रिय नियामक तंत्र गठित न हो जाए। मध्यप्रदेश सरकार को इस मामले में आगे बढ़कर केंद्र पर इस बात का दबाव बनाना चाहिए, ताकि विधेयक सदन में चर्चा के लिए पेश न किया जाए। दोनों विधेयकों की विसंगतियों के बारे में किसानों को जागरूक करने की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश सरकार की है। सरकार को सहकारी बीज निगम को पुनर्जीवित करना चाहिए, जैसा कर्नाटक सरकार कर रही है। बाकी राज्यों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में बीज निगम को खत्म किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार किसानों के लिए एक विशेष बजट भी लेकर आ रही है, जिसके लिए बजट में 23 से 24 प्रतिशत धनराशि का आवंटन किया गया है। बिहार में पहली बार जैविक कृषि पर शोध के लिए एक तिहाई बजट का आवंटन किया गया है। अब सीड विलेज और बीजों की फार्मिंग की बात हो रही है। मध्यप्रदेश सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। हम मध्यप्रदेश सरकार से कृषि नीति बनाने की मांग करते हैं।'

बीज विधेयक की विडंबनाएं

– अतिथि वक्ता डॉ. नरसिम्हा रेड्डी

अमेरिका की खाद्य प्रणाली मोंसातो, सिंजेंटा, बेयर जैसी 12 कंपनियों के कब्जे में है और भारत सरकार की कृषि संबंधी नीतियां अमेरिका केंद्रित होती जा रही हैं। अमेरिका की फूड एंड ड्रग्स एजेंसी (यूएसएफडीए) जैसी नियामक एजेंसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पक्षधर बनकर काम कर रही है। फिलहाल संसद के बजट सत्र में कृषि से संबंधित पांच से दस विधेयक लंबित हैं। इन सभी में किसानों का उनकी जमीन पर अधिकार को खत्म करने की साजिश रची गई है। इन विधेयकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर बदलाव किए गए हैं, जिससे विभिन्न राज्यों में किसान खुश नहीं हैं।'

बीज उद्योग के बारे में :

'हाल के वर्षों में बीज की आपूर्ति श्रृंखला में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। वर्तमान में प्रमाणीकृत बीज के क्षेत्र में व्यापार ज्यादा हो रहा है। बाजार में ओपन पॉलिनेटेड बीज का हिस्सा 50 फीसदी है, जबकि वनस्पति बीज का 11 प्रतिशत और निजी हाइब्रिड बीज का 30 प्रतिशत है। असल मुद्दा यह है कि बीज बोने पर भी किसानों को पूरा उत्पादन नहीं मिल रहा है। दूसरी बात बीजों की बढ़ती कीमतों की है। इससे किसान की उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है, साथ ही सस्ते बीज तक उसकी पहुंच भी कम हो रही है। पिछले साल देशभर में बीज का 5000 करोड़

रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ। अगर हम बीज के देशव्यापी बाजार की बात करें तो इसमें निजी क्षेत्र का 76 प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्र का 24 प्रतिशत हिस्सा है। दुनिया में भारत आठवां सबसे बड़ा बीज बाजार है। इंडियन सीड कांग्रेस के आंकड़ों में भारतीय बीज बाजार की सालाना बढ़त 13 से 17 प्रतिशत बताई गई है। यह कृषि की विकास दर से कहीं ज्यादा है।

देश के 13 राज्यों में बीज निगम हैं, जबकि निजी क्षेत्र में 300 कंपनियां हैं। इनमें शीर्ष 10 कंपनियों ने ही बाजार के 25 फीसदी पर कब्जा जमा रखा है। बीज विधेयक सबसे पहले 2004 में लाया गया। इसके बाद 2010 में संशोधित बीज विधेयक आया। लेकिन यह मौजूदा विधेयक संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के मुताबिक नहीं है। इसमें तीन मुद्दे बहुत अहम हैं– 1. इसमें बीजों की कीमत पर नियंत्रण की कहीं बात नहीं की गई है। वर्तमान में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसकी वजह यह है कि किसानों को बाजार से महंगा बीज खरीदना पड़ रहा है। खासतौर पर खीरा, टमाटर आदि रोजमर्रा के उपयोग की सब्जियों के बीज काफी महंगे हो गए हैं। 2. नकली बीजों से भी किसानों का भारी नुकसान हुआ। अब सरकार कह रही है कि वह किसानों को मुआवजा देने के लिए समिति बनाएगी, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये समितियां गांव या तहसील स्तर पर बनेंगी? क्या किसानों को मुआवजा लेने के लिए दिल्ली आना होगा? विधेयक में यह बात बिल्कुल साफ नहीं है। 3. विधेयक में राज्य सरकारों का कृषि संबंधी मामलों पर अधिकार भी नजर नहीं आता। केंद्र राज्य सरकारों के इस अधिकार को खत्म करना चाहता है। विधेयक में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सजा और जुर्माने को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन विधेयक में 25 हजार रुपए जुर्माना या अधिकतम तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसका विरोध करने वाले संगठनों ने इसमें बदलाव की मांग करते हुए 40 सुझाव दिए, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने इनमें से एक को भी मंजूर नहीं किया। इससे साफ है कि कंपनियों और सरकार के बीच गठजोड़ कितना मजबूत है। अगर बीज विधेयक अपने इसी स्वरूप में पेश किया गया तो यह किसानों के लिए भारी नुकसानदेह होगा।'

हमें कानूनी पेचीदगियों को समझना होगा

– अतिथि वक्ता शालिनी भूतानी, विधि विशेषज्ञ

'हमारी थाली में रखे भोजन को देखकर तीन बातें उभरती हैं– सोच, हम क्या खा रहे हैं और हमारा सांस्कृतिक इतिहास क्या है। भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे किसान जो उगाते हैं, वही हमारा भोजन होता है। सादा भोजन उच्च विचार, यही हमारी सोच रही है। और हमारी सांस्कृतिक विविधता के पीछे भी कृषि ही एक अहम कारक है। किसान ही हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत हैं। लेकिन संसद में रखे जाने वाले दोनों विधेयक किसानों के साथ ही देश की आम जनता के हितों से भी जुड़े हैं और हमें इन्हें इसी रूप में देखना होगा। सरकार ने कृषि में जीएम तकनीक को शामिल करने की पहल इस दलील के साथ की है कि सिर्फ कानून बनाकर ही जीएम तकनीक को रोका जा सकता है। असल में यह धारणा ही गलत है। आज तक किसी ने जीन नहीं देखा है। हम प्रकृति पर नियंत्रण नहीं कर सकते।

बात चाहे बीज कानून की हो, बीआरएआई की या पेटेंट कानून की, हमें देखना होगा कि परदे के पीछे से कौन इन कानूनों पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। इनमें निजी कंपनियां शामिल हैं, जो इन्हें पारित कराने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। देश में सार्वजनिक कंपनियां भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये लोगों के हित में कितना काम कर रही हैं? ये नए कानून अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता संधि 1993 और कार्टाजेना प्रोटोकॉल फॉर बायोसेफ्टी के बाद आए हैं। हमें एक ऐसा राष्ट्रीय कानून लाना है, जो दोनों अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुकूल हो। यहां तक कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल भी कंपनियों की जवाबदेही तय नहीं करती। हमें यह भी देखना होगा कि अमेरिका ने अभी तक अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यही कारण है कि अमेरिका में जीनान्तरित तकनीक के खिलाफ सख्त कानून नहीं बन सका है। भारत भी जीनान्तरित तकनीक के खतरे को नहीं समझ पा रहा है। इसीलिए बीआरएआई बिल में सावधानीमूलक सिद्धांतों को जगह नहीं मिल सकी है।'

मौजूदा विधेयकों की कानूनी खामियां

' 1. प्लांट पैरिटि प्रोटेक्शन कानून में किसानों के हित की बात कही गई है। लेकिन बीज विधेयक और बीआरएआई बिल 2010 में जवाबदेही का अधिकार पर्यावरण मंत्रालय से छीनकर बायोतकनीक मंत्रालय को दे दिया गया है।

2. दोनों विधेयकों के दस्तावेज को सरकार ने अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया?

3. बीज विधेयक में जीएम बीज बेचने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

4. कृषि व जैव सुरक्षा विधेयक 2010–11 में विदेशी उत्पादों के कारण देश में प्रवेश करने वाली बीमारियों से जूझने की बात कही गई है।

5. सरकार ने बायोटेक के क्षेत्रीय केंद्रों के गठन की बात कही है। इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। राज्यों के स्तर पर यह बात उभरती है कि केंद्र के हिस्से में कितने अधिकार आते हैं।

6. बीआरएआई एक्ट में जीनान्तरित उत्पादों के मैदानी परीक्षणों के मामलों को कोर्ट में चुनौती देने की मनाही है। साथ ही इसमें राज्यों के अधिकारों को खत्म किया गया है, यानी इस मामले में केंद्र का मनमाना कानून लागू होगा।

7. कानून का विरोध करने वालों के खिलाफ जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है।'

लड़ाई की रणनीति बनाएं, मैं साथ हूं

– अध्यक्षीय उद्‌बोधन, श्री अनिल माधव दवे, राज्यसभा सांसद

'बीज विधेयक की विसंगतियों को लेकर विषय विशेषज्ञों के विचार सुनने के बाद मुझे यह साफ नजर आ

रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लंबी और भीषण होगी। वह जमाना गया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में खुलेआम किसानों का शोषण होता था। अब नेता समझता नहीं और अधिकारी मानता नहीं है। अधिकारी वही मानेगा, जो वह जानता है। इस पूरे परिदृश्य में तीसरा कोण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का है, जो खतरनाक है। राजनेता और नौकरशाह भी इससे जुड़े हुए हैं और इसी के कारण हालात गंभीर बन गए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने फायदे के लिए नौकरशाहों और राजनेताओं को लुभाने में जुटी है। किसान संगठनों और सिविल सोसायटी को इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी तो होगी, पर इसके लिए सही योजनाबद्ध रणनीति बनानी चाहिए। जिन राज्य सरकारों ने इन विधेयकों का विरोध किया है, वहां हमें देखना होगा कि हम अपने आंदोलन को कैसे विस्तार दे सकते हैं। इस आंदोलन को जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं साथ खड़ा नजर आउंगा।'

हमारे बीजों में ही दम है

– विशेष अतिथि प्रमुख सचिव कृषि श्री एमएम उपाध्याय

'मुझे दोनों विधेयकों के बारे में अब तक बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। लेकिन अतिथि वक्ताओं के विचार सुनकर इस विषय में मेरी दिलचस्पी बढ़ी है। मध्यप्रदेश कृषि के मामले में अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि हमारे बीज में दम होते हुए भी हम इनका सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कृषि को मुनाफे का व्यवसाय बनाने में बीज एक अहम कारक है। हमें उन्नत बीजों के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। मध्यप्रदेश के किसान 80 प्रतिशत बीजों का खुद उत्पादन कर रहे हैं। सरकार उन्हें अच्छे प्रमाणित बीज उपलब्ध करा रही है, ताकि फसल उत्पादन बेहतर हो। किसानों को स्थानीय सहकारी समितियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। हमें किसानों के द्वारा उत्पादित बीजों को बढ़ावा देना होगा। प्रदेश के मंडला, डिंडौरी में घरेलू बीजों से ही किसानों ने आठ गुना ज्यादा उत्पादन हासिल किया है। मैं चाहता हूं कि बीज विधेयक ऐसा हो कि किसानों को बीज उत्पादन, विपणन आदि में कोई रुकावट न हो।'

दूसरा सत्र : सवाल–जवाब (2 बजे से 4 बजे तक)

अध्यक्षता : श्री जीएस कौशल, पैनलिस्ट : सुश्री कविता कुरुगंटी, डॉ. नरसिम्हा रेड्डी

सवाल :

- बीज विधेयक और बीआरएआई बिल पर अमल कैसे हो पाएगा? राज्य सरकार को केंद्र से कहना पड़ेगा कि वह उसके अधिकारों का हनन न करे।
- दोनों विधेयकों को लागू करने की प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों को क्यों नहीं भागीदार बनाया जाता? अगर पंचायती निकाय ही इस मामले में खामोश रहें तो विधेयक पर अमल कैसे हो पाएगा?
- खेती को नष्ट कर मध्यप्रदेश जैविक राज्य कैसे बन पाएगा?

जवाब – श्री जीएस कौशल

सबसे पहले विधेयक में राज्यों के अधिकार को शामिल करना होगा। इसके बाद ही पंचायती निकायों को हक मिल सकेगा। हम भी यही चाहते हैं कि पंचायती निकायों को इस मामले में दखल देने का अधिकार मिले। दूसरी बात यह है कि जैविक नीति में किसानों को भी सलाह देने का अधिकार है। नीति के खंड 6.8 में साफ लिखा है कि जीनान्तरित बीजों के मामले में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखा जाएगा। नीति के मूल दस्तावेज में कहा गया था कि बीटी में कोई भी जैविक तत्व मौजूद नहीं है। अब राज्य सरकार की नीति में बीटी के बारे में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मानकों को मानने की बात कही गई है।

सवाल :

- बीज की गुणवत्ता को लेकर किए गए दावों को क्या कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी? इस बारे में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए।
- बीज के रजिस्ट्रेशन की स्थानीय व राज्य स्तर पर भी सुविधा हो।

जवाब : सुश्री कविता कुरुगंटी

किसानों को मुआवजा देने के कानून में तीन लोगों को बीज की गुणवत्ता के लिए जवाबदेह माना गया है– उत्पादक, वेंडर और ब्रीडर। बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्य उद्देश्य बीज की गुणवत्ता का संधारण करना है। इसके अलावा संस्था को कोई और जिम्मेदारी देना उचित नहीं होगा। कोई भी किसान अगर अपना बीज बेचना चाहता है तो इसकी अनुमति के बारे में स्पष्ट नियम हैं।

किसान प्रतिनिधियों के सवाल और सुझाव :

- बीज प्रमाणीकरण संस्था का एकाधिकार क्यों है? उनके द्वारा प्रमाणित बीज को ही उच्च कोटि का क्यों माना जाए? बीज प्रमाणीकरण प्रणाली को सरल बनाया जाना चाहिए।
- प्रस्तावित बिल में बीज के आदान–प्रदान की सुविधा भी किसानों को मिलनी चाहिए।
- कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए 6 माह की जेल और जुर्माने की सजा पर्याप्त नहीं है। सजा को बढ़ाया जाना चाहिए।
- बीज प्रमाणन के बाद पोस्ट क्वालिटी कंट्रोल में बीज की काफी खेप बेकार हो जाती है। दोनों प्रक्रियाओं में वैचारिक मतभेद पर ध्यान दिया जाए।
- नकली बीज को प्रमाणित करने वाली एजेंसियों पर क्या कोई कार्रवाई होगी?
- क्या संगठनों को किसानों की अदालत में जाकर बीज बहिष्कार आंदोलन शुरू करना चाहिए?
- बीज विधेयक का वनाधिकार कानून से क्या संबंध है?
- मोंसांतो का हाइब्रिड मक्का मध्यप्रदेश के जबलपुर और सिवनी में उगा ही नहीं। बताया गया कि यदि बुवाई के बाद तापमान निर्धारित डिग्री से अधिक हो जाए तो फल आने की कोई गारंटी नहीं है। क्या ऐसे मामलों पर कोई कार्रवाई हो सकेगी?
-

जवाब :

- **श्री जीएस कौशल :** जब तक बीज स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल न हो, तब तक उसके व्यापार व वितरण की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
- **श्री रेड्डी :**

1. बीज विधेयक को लेकर किसानों के साथ ज्यादती की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। आंध्रप्रदेश के गुंटूर में एक किसान बीज लेकर जा रहा था। रास्ते में पुलिस ने उसे धारा 420 के तहत गिरफ्तार किया। इस मामले को बीज नियंत्रण रोकथाम कानून से जोड़ा गया, जो कि कोई कानून ही नहीं है।

2. बीज प्रमाणीकरण कंपनी केंद्र के स्तर पर ही होगी। राज्य स्तर पर नहीं। इसमें सिर्फ पांच राज्यों के ही प्रतिनिधि होंगे। किसानों के इसमें प्रतिनिधित्व के बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

3. वनाधिकार कानून पर भी बीज विधेयक का कई प्रकार से दबाव पड़ सकता है। नर्सरी के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। राज्य सरकारों को नर्सरी नियमन कानून बनाने की पहल करनी चाहिए।

4. बीज प्रमाणन में स्वयं के और अंतरराष्ट्रीय मानक लागू होंगे। संगठनों ने इस बात का जब विरोध किया तो केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने उसे दरकिनार कर दिया। ओईसीडी के बीज नियम को लेकर भी विरोध है। प्रस्तावित विधेयक में प्रमाणन के बारे में कोई संशोधन शामिल नहीं किया गया है।

5. बीज की गुणवत्ता के मामले में जवाबदेही भी तय नहीं है। विधेयक में कहा गया है कि नकली बीज से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 'केंद्र सरकार एक कमेटी का गठन कर सकती है।' अगर कमेटी के फैसले पर अमल न हो तो भूराजस्व जब्त करने की बात कही गई है, पर किसका भूराजस्व जब्त होगा यह साफ नहीं है।

6. पंचायत और तहसील स्तर पर बीज प्रमाणन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

जवाब : सुश्री कविता कुरुगंटी

देश में 25 प्रतिशत बीज बाहर से आता है। 75 प्रतिशत बीज किसान खुद उगा लेते हैं। अब बाहरी कंपनियां इस बीज विधेयक का कैसे दुरुपयोग करेंगी, इस बात को देखना होगा। अगर विधेयक इसी रूप में पारित हो गया तो विदेशी बीज कंपनियां हमारे बाजार पर कब्जा जमा लेंगी। अब तो मोंसांतो जैसी कंपनियां भी अलग–अलग राज्यों के साथ अनुबंध कर रही हैं। ये कंपनियां किसान को नुकसान होने पर उसे बीज के बदले बीज देने की बात कह रही हैं। हमें अपने नियामक मानकों को इस कदर मजबूत करना होगा कि बीज की गुणवत्ता को लेकर बड़े–बड़े दावे करने वाली कंपनियां जवाबदेह बनें, ताकि किसानों का भला हो।

बीज विधेयक का करो बहिष्कार : बोले किसान

- हमें बीज विधेयक का विरोध करना चाहिए। उस समय तक, जबकि उसमें कोई विसंगति न रहे। हमें साफ कर देना चाहिए कि हम विधेयक का विरोध करते हैं। किसानों ने इस विधेयक को लाने की मांग नहीं की। किसान अपना बीज खुद पैदा कर लेंगे।
- बीज विधेयक में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर किसान को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कैसे होगी। देश के किसानों को इस विधेयक को नकार देना चाहिए।
- देश के 75 फीसदी किसान अपना बीज इस्तेमाल करते हैं। फिर भी उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। फिर बीज विधेयक पर बहस क्यों? कहीं इस बिल के माध्यम से खेती को खत्म करने की साजिश तो नहीं हो रही है?

जवाब : सुश्री कविता कुरुगंटी

बीज विधेयक की मांग 2004 में अखिल भारतीय किसान सभा ने खुद की थी। हमें बीज उत्पादक अपने किसानों का संरक्षण करना होगा। लाखों किसानों को हो रहे नुकसान के लिए जवाबदेही तय करनी होगी। जीएम बीजों के मैदानी परीक्षण को रोकने के सवाल पर बहस हो।

जवाब : श्री जीएम कौशल

बीज विधेयक 1966 से चला आ रहा है। हमें चार–पांच साल में बीज बदल लेना चाहिए। किसान अपने बीज की अदला–बदली कर सकते हैं और प्रस्तावित विधेयक में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। विदेशी बीज हमारे देश में फायदेमंद नहीं हो सकता, इसलिए इनका नियमन करना आवश्यक है।

अंतिम सत्र : अब बारी आई रणनीति बनाने की (4.00 बजे से 5 बजे तक)

अध्यक्षता : विजय भाई

मंचासीन : चौधरी जी, जौहरी जी, अरुण त्यागी जी, उमेश जी

किसानों ने अपनी बात कुछ इस तरह से रखी –

1. मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में औद्योगिकीकरण जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसके कारण खेती के लिए जमीनें ही नहीं बच रही हैं। मध्यप्रदेश का सिंगरौली जिला इसका एक उदाहरण है। ऐसे में बीज विधेयक का क्या औचित्य है? बीज विधेयक के साथ जमीन की अनुपलब्धता का मसला भी जोड़ा जाना चाहिए। पर हो यह रहा है कि इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को रासुका के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है।

2. बीज विधेयक किसानों को खेती छोड़ने से मजबूर करने की साजिश है। सरकार विश्व व्यापार संगठन के दबाव में झुक गई है। विधेयक के बहाने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश के बीज बाजार में पैर पसारने के लिए न्योता दिया जा रहा है। हमें विधेयक का इसके मौजूदा स्वरूप में विरोध करना चाहिए।

3. विधेयक में खेती के लिए सिकुड़ती जमीन के मसले के साथ यह भी जोड़ा जाए कि औद्योगिकीकरण के नाम पर सरकार ने कहां, कितनी जमीन किसे दी है। हर जिले में कृषि जोत का रकबा सार्वजनिक होना चाहिए।

आसंदी की ओर से जवाब –

हमें इस पूरे मसले को दो तरीके से देखना होगा। 1. हमें ऐसा कोई विधेयक नहीं चाहिए, जो किसान को नियंत्रित करे। 2. बाहरी कंपनियों का हमारी कृषि पर हस्तक्षेप खत्म होना चाहिए। हम किसान की आत्मनिर्भरता को तभी बढ़ा सकते हैं, जब ऐसी नीति बनाई जाए कि कृषि में कोई हस्तक्षेप न कर सके। जंगल से आदिवासी, खेती से किसान, झोंपड़ी से गरीब और सत्ता से शरीफ व्यक्तियों को बाहर करने की साजिश बहुराष्ट्रीय कंपनियों की है। इसे रोकना होगा।

यूं निकला जनपरामर्श का नतीजा

- **बीज प्रमाणन व्यवस्था किसानों के हित में हो।**
- **शासन को सिर्फ विदेशी कंपनियों के बीज का नियमन करना चाहिए। बाकी की व्यवस्था कैसी हो यह तय होना चाहिए।**
- **जिला पंचायत जिले में बेचे जाने वाले बीजों का प्रमाणीकरण करे। यहां अस्वीकार्य हुए बीज जिले में नहीं बेचे जाएं।**
- **सभी किसान संगठन विधेयक की आलोचना करते हैं, लेकिन उसका विकल्प भी हमारे सामने होना चाहिए।**
- **सारे किसान संगठनों को एकजुट होकर बीज विधेयक के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिए।**
- **बीटी मक्का के मैदानी परीक्षण को रोकने के लिए जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में किसानों का प्रदर्शन आयोजित किया जाए। इसके लिए तारीख निश्चित की जाएगी।**
- **मध्यप्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को बीज विधेयक के खिलाफ ज्ञापन दिया जाए।**
- **विधेयक के खिलाफ हर जिले में पांच से 10 ग्राम सभाओं में प्रस्ताव पारित कराना होगा। इसके बाद आठ मार्च 2011 को प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।**